राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.6(272) परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/20 ए जयपुर, दिनांक : 14.02.2005

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6 (261) परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/20 दिनांक 14.9.2004 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके नीचे संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 1 में विनिर्दिष्ट उप–नगरीय मार्गो पर अनन्य रुप से चलने वाली मंजिली गाडियों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से विहित करती है :–

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1.	2.
उपनगरीय मार्गो पर अनन्य रुप से चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
(1) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 तक की सीट क्षमता वाली हो ; यदि : (क) चैसिस के रुप में क्रय की गयी हो (ख) सम्पूर्ण बाडी सहित क्रय की गयी हो	 चैसिस की लागत का 0.73 : यान की लागत का 0.53 :
(1) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 से अधिक की सीट क्षमता वाली हो, यदि : (1) चैसिस के रुप में क्रय की गई हो (क) सामान्य (ख) सामान्य से भिन्न	 चैसिस की लागत का 0.73 : यान की लागत का 0.37 :
(2) सम्पूर्ण बाडी सहित क्रय की गयी हो (क) सामान्य (ख) सामान्य से भिन्न	 यान की लागत का 0.50 : यान की लागत का 0.25:

परन्तु :–

(1) मोटर यान कर को सम्मिलित करते हुए विशेष सड़क कर की रकम –

(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 तक की सीट क्षमता वाले यान के लिए 1500/–रु. प्रतिमाह ;

(ii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 से अधिक की सीट क्षमता वाले सामान्य यान से भिन्न यान के लिए 2250/–रु. प्रतिमास ;

(iii) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 से अधिक की सीट क्षमता वाले सामान्य यान के लिए 2000/–रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगी।

(2) नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से, मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रुप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा ;

(3) किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय–समय पर ऐसे यानों पर लागू थी।

<u>स्पष्टीकरण</u> :–

(i) कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बतायी गयी है।

(ii) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''सामान्य यान से भिन्न'' से राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 7.14 में डीलक्स प्रवर्ग के लिए विहित विनिर्देश रखने वाले यान और पर्यटक परमिटों के विनिर्देश रखने वाले यान अभिप्रेत हैं।

(iii) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति ''सामान्य यान'' से ऐसा यान अभिप्रेत है जो ''सामान्य यान से भिन्न'' नहीं है।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव